

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या -650/2022

अनवान : -

1. श्रीचन्द पुत्र झिण्डुराम जाति धानक निवासी बरवाली तहसील नोहर।

- वादी

बनाम

1. भूपसिंह पुत्र झिण्डुराम जाति धानक निवासी बरवाली तहसील नोहर।
2. मंगेराम पुत्र झिण्डुराम जाति धानक निवासी बरवाली तहसील नोहर।
3. रामकुमार पुत्र झिण्डुराम जाति धानक निवासी बरवाली तहसील नोहर।
4. रोहताश पुत्र देवीलाल जाति धानक निवासी बरवाली तहसील नोहर।
5. लिछमण पुत्र देवीलाल जाति धानक निवासी बरवाली तहसील नोहर।
6. श्रवण पुत्र देवीलाल जाति धानक निवासी बरवाली तहसील नोहर।
7. हनुमान पुत्र देवीलाल जाति धानक निवासी बरवाली तहसील नोहर।
8. कलावती पत्नी देवीलाल जाति धानक निवासी बरवाली तहसील नोहर-फौत
9. चिमनलाल पुत्र रल्दुराम जाति धानक निवासी बरवाली तहसील नोहर।
10. नीमा देवी पत्नी रामकुमार जाति धानक निवासी बरवाली तहसील नोहर।
11. महावीर प्रसाद पुत्र रल्दुराम जाति धानक निवासी बरवाली तहसील नोहर।
12. शेरसिंह पुत्र रल्दुराम जाति धानक निवासी बरवाली तहसील नोहर।
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
14. उप पंजीयक रामगढ़ तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा

53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :- श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता वादीगण
पेरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 07/03/2025

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 53 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 11 एनटीआर के खाता स0 114/131 की कुल 1.3910 हैक्ट भूमि में से वादी एवं प्रतिवादी स0 1, 2, 3 प्रत्येक का 2473/13910 हिस्सा, प्रतिवादी स0 4 का 619/13910 हिस्सा, प्रतिवादी स0 5, 6 व 7 प्रत्येक का 1133/13910 हिस्सा, रोही मौजा 7 बारानी के खाता स0 430/386 की कुल 4.4280 हैक्ट भूमि में से वादी एवं प्रतिवादी स0 1, 2, 3 प्रत्येक का 3934/22125 हिस्सा, प्रतिवादी स0 4 का 983/22125 हिस्सा, प्रतिवादी स0 5, 6, 7 प्रत्येक का 1802/22125 हिस्सा, रोही मौजा 13 एनटीआर के खाता स0 30/34 की कुल 3.7950 हैक्ट भूमि में से वादी एवं प्रतिवादी स0 1, 2, 3, 10 प्रत्येक का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी स0 4 ता 8 प्रत्येक का 1/60 हिस्सा, प्रतिवादी स0 9, 11, 12 का 1/6 हिस्सा भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वाद भूमि का खाता व लगान मुश्तरका रहने से आपस में सीव डोल आदि का झगड़ा बना रहता है तथा लगान के संबंध में तनाजात रहते है इसलिए हक हिस्सा व कब्जा कास्त के मुताबिक वादी अपना खाता व लगान अलग करवा पाने का अधिकारी है।



अ
उपखण्ड अधिकारी
नोहर


वादी ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कहा की विवादित भूमि का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के खाता एवं लगान तकसीम करवा ले तो कई दिन तक आजकल आजकल करते रहें आखिर इन्कार हो गये इसलिए यह दावा पेश किया गया है।

अतः वाद वादी घोषणा की जावें की रोही मौजा 11 एनटीआर के खाता स0 114/131 की कुल 1.3910 हैक्ट भूमि में से वादी एवं प्रतिवादी स0 1, 2, 3 प्रत्येक का 2473/13910 हिस्सा, प्रतिवादी स0 4 का 619/13910 हिस्सा, प्रतिवादी स0 5, 6 व 7 प्रत्येक का 1133/13910 हिस्सा, रोही मौजा 7 बरानी के खाता स0 430/386 की कुल 4.4280 हैक्ट भूमि में से वादी एवं प्रतिवादी स0 1, 2, 3 प्रत्येक का 3934/22125 हिस्सा, प्रतिवादी स0 4 का 983/22125 हिस्सा, प्रतिवादी स0 5, 6, 7 प्रत्येक का 1802/22125 हिस्सा, रोही मौजा 13 एनटीआर के खाता स0 30/34 की कुल 3.7950 हैक्ट भूमि में से वादी एवं प्रतिवादी स0 1, 2, 3, 10 प्रत्येक का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी स0 4 ता 8 प्रत्येक का 1/60 हिस्सा, प्रतिवादी स0 9, 11, 12 का 1/6 हिस्सा भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है का खाता व लगान अलग अलग किया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 व 9 ता 12 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। साक्ष्य वादी में वादी द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर पर जिरह नहीं करने के कारण जिरह शुन्य रह तत्पश्चात बहस सुनी गयी। वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया गया।

विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी व प्रतिवादीगण ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 11 एनटीआर के खाता स0 114/131 की कुल 1.3910 हैक्ट भूमि में से वादी एवं प्रतिवादी स0 1, 2, 3 प्रत्येक का 2473/13910 हिस्सा, प्रतिवादी स0 4 का 619/13910 हिस्सा, प्रतिवादी स0 5, 6 व 7 प्रत्येक का 1133/13910 हिस्सा, रोही मौजा 7 बरानी के खाता स0 430/386 की कुल 4.4280 हैक्ट भूमि में से वादी एवं प्रतिवादी स0 1, 2, 3 प्रत्येक का 3934/22125 हिस्सा, प्रतिवादी स0 4 का 983/22125 हिस्सा, प्रतिवादी स0 5, 6, 7 प्रत्येक का 1802/22125 हिस्सा, रोही मौजा 13 एनटीआर के खाता स0 30/34 की कुल 3.7950 हैक्ट भूमि में से वादी एवं प्रतिवादी स0 1, 2, 3, 10 प्रत्येक का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी स0 4 ता 8 प्रत्येक का 1/60 हिस्सा, प्रतिवादी स0 9, 11, 12 का 1/6 हिस्सा भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में वादीगण ने अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि का अन्य सहकाश्तकारान से खाता व लगान अलग कायम करवाने हेतु वाद पेश किया है। संयुक्त खाते का कोई भी सहखातेदार काश्त की सुविधा को देखते हुए अपने रिकार्ड में धारित रकबे की हद तक अच्छी मंदा भूमि को ध्यान में रखते हुए खाता व लगान अलग करवाने का अधिकारी है। अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा 11 एनटीआर के खाता स0 114/131 की कुल 1.3910 हैक्ट भूमि में से वादी एवं प्रतिवादी स0 1, 2, 3 प्रत्येक का 2473/13910 हिस्सा, प्रतिवादी स0 4 का 619/13910 हिस्सा, प्रतिवादी स0 5, 6 व 7 प्रत्येक


उपजुड अधिकारी
नोहर

का 1133/13910 हिस्सा, रोही मौजा 7 बारानी के खाता स० 430/386 की कुल 4.4280 हैक्ट भूमि में से वादी एवं प्रतिवादी स० 1, 2, 3 प्रत्येक का 3934/22125 हिस्सा, प्रतिवादी स० 4 का 983/22125 हिस्सा, प्रतिवादी स० 5, 6, 7 प्रत्येक का 1802/22125 हिस्सा, रोही मौजा 13 एनटीआर के खाता स० 30/34 की कुल 3.7950 हैक्ट भूमि में से वादी एवं प्रतिवादी स० 1, 2, 3, 10 प्रत्येक का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी स० 4 ता 8 प्रत्येक का 1/60 हिस्सा, प्रतिवादी स० 9, 11, 12 का 1/6 हिस्सा भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त भूमि का पक्षकारान के हक हिस्सा के मुताबिक निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है—

- 1 श्रीचन्द्र पुत्र झिण्डुराम हिस्सा पूर्ण जाति धानक सा० बरवाली खातेदार
रोही मौजा 11 एनटीआर बी के प०न० 3823 मु०न० 60 के किला न० 16 की 0.2530 हैक्ट, 17/1 की 0.1260 हैक्ट, 24-25 की 0.5060 हैक्ट कुल किता 4 रकबा 0.8850 है० प०न० 385/423 मु०न० 59 कि०न० 20-21 की 0.5060 हैक्ट किता 2 रकबा 0.5060 है० कुल किता 6 रकबा 1.3910 हैक्ट
- 2 भूपसिंह पुत्र झिण्डुराम हिस्स पूर्ण जाति धानक सा० बरवाली खातेदार
रोही मौजा 13 एनटीआर के प०न० 378/424 मु०न० 64 कि०न० 1/1 की 0.2210 हैक्ट, 10 की 0.2530 हैक्ट कुल रकबा 0.4740 हैक्ट
- 3 निमा देवी पत्नी रामकुमार हिस्सा पूर्ण जाति धानक सा० बरवाली खातेदार राहिन हिस्सा पूर्ण पीएनबी बैंक शाखा परलीकां
रोही मौजा 13 एनटीआर के प०न० 378/424 मु०न० 64 के किला न० 1/2 की 0.0320 हैक्ट, 2 की 0.2530 हैक्ट रकबा 0.2850 हैक्ट
- 4 रामकुमार पुत्र झिण्डुरासम हिस्सा पूर्ण जाति धानक सा० बरवाली खातेदार राहिन हिस्सा पूर्ण पीएनबी बैंक शाखा परलीका
रोही मौजा चक 13 एनटीआर के प०न० 378/424 मु०न० 64 के किला न० 9 की 0.2530 हैक्ट, 11 व 12 प्रत्येक की 0.2530 हैक्ट, 19/1 की 0.1270 हैक्ट, 20 की 0.2530 हैक्ट कुल रकबा 1.1390 हैक्ट
- 5 चिमनलाल, महावीर प्रसाद, शेरसिंह पुत्रान रल्दुराम हि० बहिब जाति धानक सा० बरवाली खातेदार राहिन हिस्सा चिमनलाल, महावीर प्रसाद शेरसिंह पीएनबी बैंक शाखा परलीका
रोही मौजा चक 13 एनटीआर के प०न० 378/424 मु०न० 64 के किला न० 3, 4, 7, 8, 13, 14, 18 प्रत्येक की 0.2530 हैक्ट, 19/2 की 0.1260 हैक्ट कुल रकबा 1.8970 हैक्ट
- 6 भूपसिंह पुत्र झिण्डुराम हि० पूर्ण जाति धानक सा० बरवाली खातेदार
रोही मौजा 7 बारानी प०न० 381/413 मु०न० 286 कि०न० 16/1 की 0.2150 हैक्ट, 16/2 की 0.0380 हैक्ट गै०मु० रास्ता, 25/1 की 0.2150 हैक्ट, 25/2 की 0.0380 हैक्ट गै०मु० रास्ता, प०न० 381/414 मु०न० 315 किला न० 5/1/1 की 0.0760 हैक्ट, 5/2/1 की 0.010 हैक्ट गै०मु० रास्ता, प०न० 382/412 मु०न० 285 कि०न० 20 की 0.2530 हैक्ट कुल रकबा 0.8450 हैक्ट, गै०मु० रास्ता - 0.0860 हैक्ट, बारानी प्रथम - 0.7590 हैक्ट
- 7 लिछमण, हनुमान, श्रवण, रोहिताश पुत्रान देवीलाल बहिब जाति धानक सा० बरवाली खातेदार— रोही मौजा 7 बारानी प०न० 382/413 मु०न० 285 कि०न० 13, 18 व 19 प्रत्येक की 0.2530 हैक्ट कुल 0.7590 हैक्ट

अधिकां
बोहर

8 मांगेराम पुत्र झिण्डुराम हिस्सा पूर्ण जाति धानक सा0 बरवाली खातेदार राहिन हिस्सा पूर्ण पंजाब नेशनल बैंक शाखा परलीका - रोही मौजा 7 बारानी प0न0 382/413 मु0न0 285 कि0न0 21 ता 23 की 0.7590 हैक्ट, प0न0 382/414 मु0न0 316 के कि0न0 1-2 की 0.5060 हैक्ट, 3/1 की 0.1270 हैक्ट, प0न0 381/414 मु0न0 315 कि0न0 5/1/2 की 0.1390 हैक्ट, 5/2/2 की 0.0280 हैक्ट गै0मु0 रास्ता कुल 1.5590 हैक्ट गै0मु0 रास्ता-0.0280 हैक्ट, बारानी प्रथम-1.5310 हैक्ट

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 07/03/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

01
(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

अंतिम पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)
प्रकरण संख्या -650/2023

अनवान : -

1. श्रीचन्द्र पुत्र झिण्डुराम जाति धानक निवासी बरवाली तहसील नोहर।

- वादी

बनाम

1. भूपसिंह पुत्र झिण्डुराम जाति धानक निवासी बरवाली तहसील नोहर।
2. मंगेराम पुत्र झिण्डुराम जाति धानक निवासी बरवाली तहसील नोहर।
3. रामकुमार पुत्र झिण्डुराम जाति धानक निवासी बरवाली तहसील नोहर।
4. रोहताश पुत्र देवीलाल जाति धानक निवासी बरवाली तहसील नोहर।
5. लिछमण पुत्र देवीलाल जाति धानक निवासी बरवाली तहसील नोहर।
6. श्रवण पुत्र देवीलाल जाति धानक निवासी बरवाली तहसील नोहर।
7. हनुमान पुत्र देवीलाल जाति धानक निवासी बरवाली तहसील नोहर।
8. कलावती पत्नी देवीलाल जाति धानक निवासी बरवाली तहसील नोहर-फौत
9. चिमनलाल पुत्र रल्दुराम जाति धानक निवासी बरवाली तहसील नोहर।
10. नीमा देवी पत्नी रामकुमार जाति धानक निवासी बरवाली तहसील नोहर।
11. महावीर प्रसाद पुत्र रल्दुराम जाति धानक निवासी बरवाली तहसील नोहर।
12. शेरसिंह पुत्र रल्दुराम जाति धानक निवासी बरवाली तहसील नोहर।
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
14. उप पंजीयक रामगढ़ तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 650 सन 2023 निर्णय दिनांक 07/3/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार साबित होने के कारण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा 11 एनटीआर के खाता स० 114/131 की कुल 1.3910 हैक्ट भूमि में से वादी एवं प्रतिवादी स० 1, 2, 3 प्रत्येक का 2473/13910 हिस्सा, प्रतिवादी स० 4 का 619/13910 हिस्सा, प्रतिवादी स० 5, 6 व 7 प्रत्येक का 1133/13910 हिस्सा, रोही मौजा 7 बरानी के खाता स० 430/386 की कुल 4.4280 हैक्ट भूमि में से वादी एवं प्रतिवादी स० 1, 2, 3 प्रत्येक का 3934/22125 हिस्सा, प्रतिवादी स० 4 का 983/22125 हिस्सा, प्रतिवादी स० 5, 6, 7 प्रत्येक का 1802/22125 हिस्सा, रोही मौजा 13 एनटीआर के खाता स० 30/34 की कुल 3.7950 हैक्ट भूमि में से वादी एवं प्रतिवादी स० 1, 2, 3, 10 प्रत्येक का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी स० 4 ता 8 प्रत्येक का 1/60 हिस्सा, प्रतिवादी स० 9, 11, 12 का 1/6 हिस्सा भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त भूमि का पक्षकारान के हक हिस्सा के मुताबिक निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है-


1. श्रीचन्द्र पुत्र झिण्डुराम हिस्सा पूर्ण जाति धानक सा० बरवाली खातेदार रोही मौजा 11 एनटीआर बी के प०न० 3823 मु०न० 60 के किला न० 16 की 0.2530 हैक्ट, 17/1 की 0.1260 हैक्ट, 24-25 की 0.5060 हैक्ट कुल किता 4 रकबा 0.8850 है० प०न० 385/423 मु०न० 59 कि०न० 20-21 की 0.5060 हैक्ट किता 2 रकबा 0.5060 है० कुल किता 6 रकबा 1.3910 हैक्ट
2. भूपसिंह पुत्र झिण्डुराम हिस्सा पूर्ण जाति धानक सा० बरवाली खातेदार रोही मौजा 13 एनटीआर के प०न० 378/424 मु०न० 64 कि०न० 1/1 की 0.2210 हैक्ट, 10 की 0.2530 हैक्ट कुल रकबा 0.4740 हैक्ट

01 उपखण्ड अधिकारी
नोहर

- 3 निमा देवी पत्नी रामकुमार हिस्सा पूर्ण जाति धानक सा0 बरवाली खातेदार राहिन हिस्सा पूर्ण पीएनबी बैंक शाखा परलीका
रोही मौजा 13 एनटीआर के प0न0 378/424 मु0न0 64 के किला न0 1/2 की 0.0320 हैक्ट, 2 की 0.2530 हैक्ट रकबा 0.2850 हैक्ट
- 4 रामकुमार पुत्र झिण्डुरासम हिस्सा पूर्ण जाति धानक सा0 बरवाली खातेदार राहिन हिस्सा पूर्ण पीएनबी बैंक शाखा परलीका
रोही मौजा चक 13 एनटीआर के प0न0 378/424 मु0न0 64 के किला न0 9 की 0.2530 हैक्ट, 11 व 12 प्रत्येक की 0.2530 हैक्ट, 19/1 की 0.1270 हैक्ट, 20 की 0.2530 हैक्ट कुल रकबा 1.1390 हैक्ट
- 5 चिमनलाल, महावीर प्रसाद, शेरसिंह पुत्रान रल्दुराम हि0 बहिब जाति धानक सा0 बरवाली खातेदार राहिन हिस्सा चिमनलाल, महावीर प्रसाद शेरसिंह पीएनबी बैंक शाखा परलीका
रोही मौजा चक 13 एनटीआर के प0न0 378/424 मु0न0 64 के किला न0 3, 4, 7, 8, 13, 14, 18 प्रत्येक की 0.2530 हैक्ट, 19/2 की 0.1260 हैक्ट कुल रकबा 1.8970 हैक्ट
- 6 भूपसिंह पुत्र झिण्डुराम हि0 पूर्ण जाति धानक सा0 बरवाली खातेदार
रोही मौजा 7 बारानी प0न0 381/413 मु0न0 286 कि0न0 16/1 की 0.2150 हैक्ट, 16/2 की 0.0380 हैक्ट गै0मु0 रास्ता, 25/1 की 0.2150 हैक्ट, 25/2 की 0.0380 हैक्ट गै0मु0 रास्ता, प0न0 381/414 मु0न0 315 किला न0 5/1/1 की 0.0760 हैक्ट, 5/2/1 की 0.010 हैक्ट गै0मु0 रास्ता, प0न0 382/412 मु0न0 285 कि0न0 20 की 0.2530 हैक्ट कुल रकबा 0.8450 हैक्ट, गै0मु0 रास्ता - 0.0860 हैक्ट, बारानी प्रथम - 0.7590 हैक्ट
- 7 लिछमण, हनुमान, श्रवण, रोहिताश पुत्रान देवीलाल बहिब जाति धानक सा0 बरवाली खातेदार- रोही मौजा 7 बारानी प0न0 382/413 मु0न0 285 कि0न0 13, 18 व 19 प्रत्येक की 0.2530 हैक्ट कुल 0.7590 हैक्ट
- 8 मांगोराम पुत्र झिण्डुराम हिस्सा पूर्ण जाति धानक सा0 बरवाली खातेदार राहिन हिस्सा पूर्ण पंजाब नेशनल बैंक शाखा परलीका - रोही मौजा 7 बारानी प0न0 382/413 मु0न0 285 कि0न0 21 ता 23 की 0.7590 हैक्ट, प0न0 382/414 मु0न0 316 के कि0न0 1-2 की 0.5060 हैक्ट, 3/1 की 0.1270 हैक्ट, प0न0 381/414 मु0न0 315 कि0न0 5/1/2 की 0.1390 हैक्ट, 5/2/2 की 0.0280 हैक्ट गै0मु0 रास्ता कुल 1.5590 हैक्ट गै0मु0 रास्ता-0.0280 हैक्ट, बारानी प्रथम-1.5310 हैक्ट

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

यह अंतिम आज दिनांक 07/03/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी की गई।


 (पंकज गढ़वाल R.A.S)
 उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
 एवं सहायक कलक्टर नोहर